<u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद</u> जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण कमांक : 862/08

संस्थापन दिनांक : 17.10.2008

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

बनाम

1—मुन्नासिंह भदौरिया पुत्र तहसीलदार सिंह भदौरिया उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम सोने का पुरा थाना सहसों जिला इटावा उ.प्र.

– अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

- . आरोपी के विरुद्ध धारा 457, 380 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 07–08/10/08 की दरिमयानी रात्रि मोन्टेल फैक्ट्री मालनपुर में चोरी करने के आशय से रात्रि में प्रवेश कर रात्रो प्रच्छन्न गृहअतिचार कारित किया तथा डी.एन.बी. के सिलेण्डर एवं रेग्यूलेटर, इंक पाईप, हैण्डलॉक तथा एल्युमिनियम कोट कुल कीमती आठ हजार रुपये की चोरी की।
- 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 07–08/10/08 की दरिमयानी रात्रि मोन्टेज फैक्ट्री मालनपुर से अज्ञात चोरी फैक्ट्री का सामान जिसमें एल्युमिनियम मिश्रित सामान एफ.आर.एल. यूनिट, एफ.आर. यूनिट, एयर सिलेण्डर, एयर रेग्यूलेटर, गियर बॉक्स, इंक पम्प, कवर प्लेट, हैण्ड लॉक, डॉक्टर ब्लेड, एल्युमिनियम कोट, कीमती 8,000/—रुपये को चुरकर ले गये थे। तत्पश्चात फरियादी भोलाप्रसाद तिवारी ने थाना मालनपुर में लेखीय आवेदन प्र0पी—1 दिया जिस पर से थाना मालनपुर में अप०क० 118/08 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी—1 दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रकट होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

- 3. आरोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फसाया गया है बचाव मे किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेत् निम्न विचारणीय प्रश्न है कि :--
 - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 07–08/10/08 की दरमियानी रात्रि मोन्टेल फैक्ट्री मालनपुर में चोरी करने के आशय से रात्रि में प्रवेश कर रात्रो प्रच्छन्न गृहअतिचार कारित किया ?
 - 2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर डी.एन.बी. के सिलेण्डर एवं रेग्यूलेटर, इंक पाईप, हैण्डलॉक तथा एल्युमिनियम कोट कुल कीमती आठ हजार रूपये की चोरी की ?

/ / विचारणीय प्रश्न क्रमांक ०१ व ०२ पर निष्कर्ष / /

- 5. भोलाप्रसाद अ०सा०१ ने कथन किया है कि दिनांक ०७–८ अगस्त 2008 की दरिमयानी रात उसकी फैक्ट्री से कुछ एल्युमिनियम कोट, गियर बॉक्स, डाटा प्लेट, यूनिट जैक, एयर सिलेण्डर आदि अज्ञात चोर चुराकर ले गया था जिनकी कीमत आट हजार रुपये थी। उसने पुलिस थाना मालनपुर में एक लेखीय आवेदन प्र०पी–1 दिया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उक्त आवेदन के आधार पर पुलिस ने नक्शामौका प्र०पी–3 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। फिर कथन किया है कि उसे याद नहीं है कि नक्शामौका पुलिस ने उसके समक्ष बनाया था या नहीं। उसके सामने सामान की पहचान हुई थी शिनाख्दी मैमो प्र०पी–4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने एयर फिल्टर, एलयुमिनियम कोट व अन्य सामान पहचाना था। पुलिस ने उसका बयान लिया था। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि उससे पहचान की कार्यवाही थाने में कराई थी कुछ सामान उसने तथा कुछ सामान जे.ई. ने पहचाना था। पहचानते समय अन्य सामान नहीं रखा था।
- 6. अशोक अ०सा०२ ने कथन किया है कि 6-7 वर्ष पूर्व एल्युमिनियम का सामान मोन्टेस इण्टरप्राइजेज मालनपुर फैक्ट्री से चोरी हो गया था जिसकी रिपोर्ट भोलाप्रसाद ने थाना मालनपुर में की थी। सामान कितने रूपये का था वह नहीं बता सकता। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि उसके समक्ष आरोपी मुन्नासिंह ने पुलिस को बताया था कि चोरी का सामान फ्लेक्स फैक्ट्री के सामने बंद फैक्ट्री के पीछे छिपाया है और इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उक्त स्थान से चुराई हुई वस्तु जप्त हुई थी मात्र जप्ती पत्रक प्र0पी-5 व गिरफतारी पत्रक प्र0पी-6 व मैमोरेण्डम प्र0पी-7 पर इस साक्षी ने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं जिसका स्पष्टीकरण दिया है कि थाने पर उसके हस्ताक्षर कराये थे।
- 7. बालिकशन अ०सा०३ ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। जब फैक्ट्री में चोरी हुई थी तब वह थाने गया था तब थाने पर

दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराये थे। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिए। इस साक्षी ने सुझाव को स्वीकार किया है कि भोलाप्रसाद अ०सा०१ ने बताया था कि गोदाम से एल्युमिनियम का सामान चोरी चला गया है परन्तु इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके समक्ष आरोपी मुन्नासिंह ने पुलिस को बताया था कि चोरी का सामान फलेक्स फैक्ट्री के सामने बंद फैक्ट्री के पीछे छिपाया है और इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उक्त स्थान से चुराई हुई वस्तु जप्त हुई थी मात्र जप्ती पत्रक प्र0पी—5 व गिरफतारी पत्रक प्र0पी—6 व मैमोरेण्डम प्र0पी—7 पर इस साक्षी ने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। परन्तु पुलिस कथन प्र0पी—8 में भी उक्त विवेचना की कार्यवाही के तथ्य बताये जाने से इंकार किया है।

साक्षी मेहताबसिंह अ०सा०४ ने कथन किया है कि वह भोलाप्रसाद अ०सा०१ को नहीं जानता है और इस तथ्य को याद होने से इंकार किया है कि दिनांक ०४.१०.०८ को उसने भोलाप्रसाद अ०सा०१ से शिनाख्ती पत्रक प्र०पी–४ के वर्णानुसार सामान की पहचान कराई थी और इस सुझाव से इंकार किया है कि शिनाख्ती पंचनामा प्र०पी–४ उसने तैयार किया था।

8.

प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अभियोजन ने पेश नहीं किया 📤 हैं कि मोन्टेस फैक्ट्री के स्वत्व की संपत्ति ही चोरी हुई थी जिससे कि समाधान हो सके कि आरोपी से प्राप्त संपत्ति फरियादी भोलाप्रसाद अ०सा०1 के आधिपत्य की थी। उक्त संपत्ति की विशिष्ट पहचान भी अभियोजन ने साक्ष्य से स्पष्ट नहीं की है और पहचान कराये जाने के संबंध में शिनाख्ती पत्रक मेहताबसिंह अ०सा०४ ने ही शिनाख्ती पंचनामा प्र०पी-४ बनाये जाने से इंकार किया है और फरियादी भोलाप्रसाद अ०सा०१ ने भी पहचान थाने पर ही करना बतायी है। अतः शिनाख्ती की कार्यवाही ही विश्वसनीय नहीं है। प्रकरण में विवेचक की साक्ष्य अभियोजन द्वारा पेश नहीं की गयी है। मैमोरेण्डम व जप्ती के स्वतंत्र साक्षी अशोक अ०सा०२ व बालकिशन अ०सा०३ ने आरोपी द्वारा जानकारी दिए जाने और उस आधार पर जप्ती होने का भी समर्थन नहीं किया है जबकि उक्त दोनों साक्षीगण भी भोलाप्रसाद अ०सा०1 के साथ ही कार्यरत हैं। अतः संपत्ति के स्वामियों के कर्मचारियों द्वारा ही न्यायालयीन साक्ष्य में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है। घ ाटना का कोई प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य में भी अभियोजन द्व ारा आरोपी की जानकारी पर चुराई गयी संपत्ति जप्त होना प्रमाणित नहीं किया गया है। जप्त संपत्ति फरियादी के स्वत्व अथवा आधिपत्य की होने के संबंध में भी कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों से अभियोजन अपना मामला सिद्ध करने में असफल रहता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 07-08/10/08 की दरमियानी रात्रि मोन्टेल फैक्ट्री मालनपुर में चोरी करने के आशय से रात्रि में प्रवेश कर रात्रो प्रच्छन्न गृहअतिचार कारित किया तथा डी.एन.बी. के सिलेण्डर एवं रेग्यूलेटर, इंक पाईप, हैण्डलॉक तथा एल्युमिनियम कोट कुल कीमती आट हजार रुपये की चोरी की।

10. परिणामतः आरोपी को धारा 457, 380 भा.द.स. के आरोपित आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है। 11. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

12. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति के संबंध में आदेश पत्रिका के अनुसार दिनांक 11.04.2009 के अनुसार मोन्टेस इण्टरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा सुपुर्दगी में संपत्ति प्राप्त करने के आवेदन पर बल न दिए के परिणामस्वरूप उक्त आवेदन निरस्त किया गया है। तदोपरांत किसी भी पक्ष द्वारा उक्त संपत्ति पर दावा नहीं किया गया है। अतः जप्तशुदा संपत्ति अपील अवधि पश्चात राजसात की जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / –
(गोपेश गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

WITHOUT PRESIDENT BUTTING BUTT